महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :- रू0वि0/सम्ब.(अना)/एफ-01/2015/ 2162-64

दिनांकः- 09.03.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर.बी. डिग्री कालेज,
टांडा, मानपुर, शेरगढ़, बरेली।

विषयः नवीन महाविद्यालय/संस्थान एवं पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2012 दिनांक 09.08.2012 में प्रतिनिधायित शक्तियों के फलस्वरूप गठित मण्डलीय समिति ने सम्यक विचारोपरान्त संस्था आर.बी. डिग्री कालेज, टांडा, मानपुर, शेरगढ़, बरेली को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी.ए.-(अतिरिक्त विषय- गृहविज्ञान), वाणिज्य संकायान्तर्गत बी.काम. तथा बी.काम.(ऑनर्स) तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी.एससी.-(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रम/विषयों में अनापत्ति स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी है -

1. उक्त पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
2. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश संख्या 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27.09.2002, शासनादेश संख्या 3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11.10.2002, शासनादेश संख्या 193/सत्तर-2-2003-2(166) /2002, दिनांक 13.01.2003, शासनादेश संख्या 585 मु.मं./सत्तर-2-2005-2(166)/2002, दिनांक 21.10.2005, शासनादेश संख्या 743 मु.मं./सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07.11.2006, शासनादेश संख्या 1140/सत्तर-3-2009, दिनांक 10.07.2009, शासनादेश संख्या 1528/79-6-2008, दिनांक 20.07.2009, शासनादेश संख्या-4070/सत्तर-2-2011-16(686)/2011, दिनांक 20.04.2012 शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर लेगी।
3. उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगी और न ही उनके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।
4. संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार को कोई सरोकार नहीं होगा।
5. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्धता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
7. उक्त पाठयक्रम का संचालन, अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम-टांडा, परगना-कावर, तहसील-बहेड़ी, जिला- बरेली में गाटा सं0 153 में 0.932 है0, 154 में 0.025 है0, 156 में 0.117, 157 में 0.154 है0 कुल 1.228 है0 (12280 वर्ग मीटर) भूमि पर मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र स्थान पर संचालित होने पर यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
8. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगी और उसके सदस्य परस्पर सम्बंधी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तरित कर दी जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रो0(मुशाहिद हुसैन)
कुलपति

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
2. सम्बन्धित अपर जिलाधिकारी/जिलाधिकारी।

(ए.के. सिंह)
पी.सी.एस.
कुलसचिव